बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ।
Email id:- qcdnalanda@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) 02/2026—27

पत्रांक :— 243 **/बिहारशरीफ,** **दिनांक :—** 24.04.2026

एतद द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता है कि गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ के अन्तर्गत योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा नमूना संग्रहण हेतु एवं अन्य सरकारी कार्यों के निश्पादन हेतु 01 अद्द नॉन ए0सी0 वाहन **(Camper/ समतुल्य वाहन, चालक सहित एवं ईधन रहित)** वित्तीय वर्ष 2026—27 में **एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027** तक निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन हेतु इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म से निम्नांकित शर्तों के अधीन मुहरबंद अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्यान्वित अवधि	अद्द	वाहन के प्रकार	अभियुक्ति
01	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01 अद्द	**Camper/ समतुल्य वाहन (Non-AC) चालक सहित एवं ईधन रहित**	

1. कोटेशन आमंत्रण कार्यालय का नाम एवं पता :— कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ।
2. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :— 24.04.2026
3. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :— 15.05.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :— कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ।
5. कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :— 15.05.2026 को अपराहन् 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में।

24.04.2026

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल,
नालंदा, बिहारशरीफ।

24.04.26

<u>नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–</u>

1. भाड़े पर वाहन का उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है। वर्तमान में दिनांक 31.03.2027 तक के लिए आपूर्ति वाहन का एकरारनामा रू0–1000.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2. वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।

3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय तथा चालक के खान–पान एवं आवासन की व्यवस्था वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।

4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।

5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा तथा इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।

6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।

7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।

8. वाहन उपयोग के विरूद्ध **किराया प्रतिदिन चालक सहित एवं ईंधन रहित** देय होगा। जो माह के पूर्ण होने के पश्चात विपत्र प्रस्तुत करने एवं आवंटन उपलब्ध रहने पर किया जायेगा। आपूर्ति वाहन के भाड़े का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।

9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा उपयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्ट करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

10. वाहन का **ईंधन रहित (चालक सहित)** प्रतिदिन न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के

एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आपूरित वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से अथवा 10 (दस) कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो, मान्य होगा।

11. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जायेगा।

12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगें अगर वे ऐसा नही करते हैं तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दो गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी।

13. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।

14. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

15. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहाँ रह भी सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

16. इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति तथा अपना कोटेशन दिनांक **15.05.2026 को** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में **03:00 बजे अपराहन्** तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक **15.05.2026** के **03:30 बजे अपराहन्** में कार्यापालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, नालंदा, बिहारशरीफ के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधी कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।

17. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के तहत लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म का चयन किया जायेगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म को मोबाईल और ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधी लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधी की अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।

18. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

19. कोटेशनदाता/प्राधिकृत प्रतिनिधी सीलबंद लिफाफे खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। अन्यथा उनकी उपस्थिति के बिना भी सीलबंद लिफाफे खोले जायेंगे जिसके लिए किसी तरह का कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।

20. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म का वैध GST एवं PAN Card निबंधन होना अनिवार्य है।

21. वाहन के भुगतान पर नियामानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी0एस0टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ताओं को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदैयता की जिम्मेदारी वाहन मलिक की होगी विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

22. नालंदा समाहरणालय जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक 573 दिनांक 21.07.2022 द्वारा निर्गत पत्र में Camper/समतुल्य वाहन का दर निर्धारित नहीं किया गया है। अतः Camper/समतुल्य वाहन का दर निर्धारित नहीं रहने के कारण जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के द्वारा निर्गत आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/182/2024–142 पटना/दिनांक 10.02.2025 के आलोक में नये SOP 2025 के तहत Camper/समतुल्य वाहन के लिए निर्धारित दर रू0 1100/– (एक हजार एक सौ रूपये) प्रतिदिन के दर को समाहित किया गया है। इस दर से अधिक उद्धृत दर मान्य नहीं होगा एवं उक्त समर्पित कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

23. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म के चयन के पश्चात उन्हें वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। पत्र निर्गत के एक पक्ष के अन्दर एकरारनामा कराना एवं वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह चयन स्वतः अमान्य हो जायेगा। उक्त हेतु किसी प्रकार का अलग से आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

24. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकुल वांछित कागजात एवं शपथ पत्र जमा नहीं किये जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

25. विस्तृत जानकारी हेतू कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अद्योहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 9571991135 एवं 7209003164 पर संपर्क किया जा सकता है।

24.04.26

कार्यपालक अभियंता,
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल,
नालंदा, बिहारशरीफ।

24.04.26

पत्रांक :–   बिहारशरीफ, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल,
नालंदा, बिहारशरीफ।

पत्रांक :– 243   बिहारशरीफ, दिनांक :– 24.04.2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि राज्यस्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु अग्रेत्तर कार्यवाई करने चाहेंगें।

24.04.2026

कार्यपालक अभियंता,
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल,
नालंदा, बिहारशरीफ।

24.04.26